हैरिस ने इस साल बेचे 156 असलहे

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जौनपुर पुलिस से अधिकारियों से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने मूलगंज स्थित हैरिस गन हाउस के रजिस्टर खंगाले। जांच में सामने आया कि वर्ष 2026 में हैरिस गन हाउस से 156 असलहे बेचे गए जबकि कारतूस बिक्री की संख्या 20,557 मिली। एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय ने बताया कि रजिस्टर में स्टॉक और बिक्री का मिलान किया जा रहा है। यह असलहे और कारतूस किसे बेचे गए इसकी जानकारी की जा रही है। वहीं पनकी की एक दुकान से भी इस वर्ष 50 असलहे और 9910 कारतूस बेचे जाने की जानकारी पुलिस को मिली है। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि 10 टीमें लगाई गईं। कुल 62 दुकानों में 15 की जांच हुई जिसमें वर्ष 2026 में 206 असलहे और 30,527 कारतूस बेचे जाने की जानकारी मिली है। इनके खरीद फरोख्त का मिलान किया जा रहा है। 12 दुकानें लाइसेंस सरेंडर करने के चलते बंद मिलीं।


हैरिस गन हाउस पहुंची टीम।

आज 18 हजार अभ्यर्थी देंगे पीईटी

कानपुर। शहर में रविवार दो पालियों में पीईटी होगी। एडीएम फाइनेंस विवेक चतुर्वेदी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। दोनों पालियों में 18 हजार अभ्यर्थी बैठेंगे। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि शहर में 21 सेंटर हैं। पहली पाली सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक की होगी। एक पाली में 9288 अभ्यर्थी बैठेंगे उस हिसाब से 18576 अभ्यर्थी दो पालियों में परीक्षा देने आएंगे।

नकली सीमेंट के सौदागर भाइयों पर 15-15 हजार इनाम घोषित

अडानी ग्रुप के एक अधिकारी ने पनकी थाने में सौदागरों पर कराई थी एफआईआर

शिकंजा

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नकली सीमेंट बेचने के मामले में फरार चल रहे सौदागर भाइयों समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनके खिलाफ अडानी ग्रुप के एक अधिकारी ने पनकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लखनऊ एयरपोर्ट निर्माण के लिए यहां से भेजी गई सीमेंट की जांच में इसके नकली होने का खुलासा हुआ था। बता दें इस मामले में गोदाम संचालक सगे भाई नीरज और धीरज गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर शनिवार को होने वाली सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई, जबकि उनके मैनेजर राहुल कुमार की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट निशा श्रीवास्तव ने खारिज कर दी।

अडानी ग्रुप के कानपुर शाखा के सीनियर सेल्स मैनेजर मुमताजुल हक की शिकायत पर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के पीआरओ कुंवर अंशुमान सिंह ने पनकी इस्पातनगर स्थित गोदाम में छापा मारा था। यहां एसीसी व अंबुजा कंपनी के नाम की नकली सीमेंट बनाकर अडानी कंपनी की लोगो लगी बोरियों में भरकर सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने गोदाम से मुंशी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

गोदाम लालबंगला निवासी नीरज गुप्ता, उसका भाई धीरज गुप्ता, मेरठ निवासी सुनील मित्तल और उसका बेटा निशांत मित्तल मिलकर चला रहे थे। पुलिस ने निशांत को पकड़ा लेकिन उसकी गिरफ्तारी वैधानिक तरीके से न होने के चलते कोर्ट से छूट गया था। इस मामले में पुलिस नीरज, धीरज और सुनील को ढूंढ रही है। 15 दिन बीतने के बाद अब पुलिस ने तीनों पर इनाम घोषित कर दिया है।

बोले जिम्मेदार

कंपनी से सीमेंट का नमूना मांगा गया

सगे भाइयों समेत तीनों आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। कंपनी से सीमेंट का नमूना और निर्माण में यूज कंपोजीशन की डिटेल मांगी गई है। स्क्रैप में सीमेंट बेचने का एसओपी और एग्रीमेंट भी मांगा गया है। उपरोक्त जानकारियां मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -एसएम कासिम आबिदी, डीसीपी पश्चिम



15 दिन बाद भी तीन आरोपियों का पता नहीं, एयरपोर्ट में पकड़ी गई थी सीमेंट

16 अक्तूबर को पनकी थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट, तब फरार हैं आरोपी

पनकी इस्पातनगर स्थित गोदाम में छापा मारकर नकली सीमेंट की बोरियां जब्त की थी। (फाइल फोटो)

इमारतें जमींदोज, सीमेंट हर बार 'निर्दोष'

- कमाई को सीमेंट स्क्रैप बेचती कंपनियां, नीरज जैसे लोग उठाते फायदा
- अलग काम के लिए अलग सीमेंट लगती, मिलावट से कम होती स्ट्रेंथ

आंकड़े

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पनकी के इस्पातनगर में तैयार हो रही नकली सीमेंट का खेल लखनऊ एयरपोर्ट पर खुला तो अब इन हादसों पर भी सवाल उठने लगे हैं जो कानपुर और इसके आसपास हुए। कानपुर में नकली सीमेंट का खेल पिछले तीन साल से चल रहा था और ये हादसे भी तीन साल के भीतर हुए हैं। हर बार तकनीकी खामी और इंजीनियरिंग को दोषी बताकर सीमेंट की जांच ही नहीं कराई गई। मतलब सीमेंट हर बार 'निर्दोष' रही।₹ यही वजह रही कि नीरज-धीरज जैसे लोगों का नकली सीमेंट बेचने का धंधा आसानी से फलता-फूलता रहा।

स्क्रैप सीमेंट से फल-फूल रहे सौदागर : उत्तर प्रदेश सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह भदौरिया कहते हैं कि लोगों को असली-नकली के फेर से बचने के लिए पेपर बैग वाली सीमेंट का प्रयोग करना चाहिए। सिलाई वाली बोरी में नकली सीमेंट होने की आशंका रहती है। उनका कहना है कि कंपनियों को भी स्क्रैप सीमेंट की नीलामी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस कार्य के लिए स्क्रैप सीमेंट बेची जाती है, उसकी कोई गारंटी नहीं कि खरीदी गई सीमेंट उसी कार्य के लिए यूज हो। इसके बेचने पर इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।

केस 1 लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में 7 सितंबर 2024 की शाम 4:45 बजे व्यवसायिक इमारत हरमिलाप कॉम्प्लेक्स भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जांच में निर्माण सामग्री के घटिया होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक राकेश सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पूरा दोष पतली सरिया और गलत इंजीनियरिंग का देकर मामला शांत हो गया।

केस 2 चमनगंज के मठिया वाला हाता में 30 अगस्त 2026 को सात मंजिला अवैध इमारत का पिलर दरक गया और इमारत एक ओर झुक गई। आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा तो जिम्मेदार भी सक्रिय हुए। केडीए की टीम ने जांच की तो पता चला बिल्डिंग में खराब मैटेरियल प्रयोग हुआ था। पुलिस ने आसपास रहने वाले 35-40 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला और बिल्डिंग के मालिक को उसे ढहाने के आदेश दिए। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया।

केस 3 बर्रा के हरदेव नगर इलाके में जून 2025 को एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत में सबसे ऊपरी (चौथी) मंजिल पर लिंटर (छत) डालने का काम चल रहा था। शाम करीब सात से आठ बजे के बीच अचानक दूसरी मंजिल की छत ढह गई। ढहते ही ऊपर की मंजिल भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कुछ मजदूरों ने कूद जान बचाई, जबकि मलबे में फंसे पांच मजदूरों को फायरब्रिगेड ने बाहर निकाला। मामले में मुकदमा हुआ पर सीमेंट की जांच नहीं हुई।

गमले, वॉल स्ट्रेथनिंग में लगती स्क्रैप सीमेंट

पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस्पात नगर में हो सीमेंट पैकिंग कर बेची जा रही थी, वह गमले निर्माण, वॉल की स्ट्रेथनिंग, नहर की दीवार निर्माण, इंटरलॉकिंग का जोड़ आदि के नाम पर खरीदी गई। पुलिस को जो पर्चे मिले हैं, उसके हिसाब से सीमेंट भवन, मकान आदि निर्माण कार्य के लिए बेची गई। ऐसे में पिछले तीन साल से करीब 10 लाख नकली सीमेंट की बोरियां आरोपियों के कहां खपाई, पुलिस के लिए यह चुनौती है। दरअसल पुलिस का कहना है कि मुंशी को जेल भेजा जा चुका है जबकि आरोपी सगे भाई अभी फरार हैं। उनके पकड़े जाने पर ही पता चल सकेगा कि आखिर नकली सीमेंट का यह कारोबार किस तरह से संचालित किया जा रहा था। इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं यह पता चल सकेगा।

एनटी बैग्स कहां से आए

सीमेंट कंपनियां सामान्य तौर पर एनटी (नॉन ट्रेड) बैग्स की आपूर्ति डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं करती हैं। कंपनियों से एनटी बैग्स सीधे साइट पर जाते हैं, जहां से सीमेंट बैग में भरकर सील कर सीएंडएफ को भेजी जाती है। वहां से डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा जाता है। इस्पातनगर स्थित नीरज धीरज के गोदाम में यह एनटी बैग मिले थे। पुलिस ने मुंशी राहुल से पूछताछ की थी लेकिन वह भी जानकारी नहीं दे सका। इसके बाद पुलिस ने अडानी ग्रुप के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बैग भेजने से इंकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही इसका खुलासा होगा।

सीए ने मुहैया कराए बिल, जांच हो रही

डीसीपी एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि नीरज के सीए ने कुछ बिल्स मुहैया कराए हैं। इन बिलों का सत्यापन किया जा रहा है। यह बिल सीमेंट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि सीमेंट का प्रयोग कहां-कहां किया गया। डीसीपी ने बताया कि अडानी कंपनी के अधिकारियों से कई सूचनाएं मांगी गई थीं लेकिन अभी वह नहीं मिली हैं। गोदाम की जमीन किसके नाम पर है, केडीए ने अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी है। गोदाम में मिली सीमेंट का सैंपल लिया गया था। इसे जांच के लिए भेजने से पहले अडानी ग्रुप से सही सीमेंट का सैंपल, कंपोजीशन की डिटेल मांगी गई है। यह मिलने के बाद सैंपल की जांच के लिए आईआईटी भेजा जाएगा।

यूको बैंक UCO BANK सम्मान आपके विश्वास का — Honours your trust

अंचल कार्यालय : 75/4, सिद्धी सदन, हालसी रोड बादशाही नाका पुलिस स्टेशन के पास, कानपुर – 208001 E-mail : zokanpur.rec@uco.bank.in

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय [नोटिस नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों (पब्लिक) को एवं विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/सम्पत्तियाँ जो प्रतिभूत लेनदार यूको बैंक के पास प्रभारित/गिरवी हैं, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है और जिसे/जिन्हें उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) की प्रतिभूत लेनदार यूको बैंक के प्रति देय बकाया धनराशि की वसूली हेतु "जैसा है जहाँ है", "जैसा है वैसा है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 17-11-2026 को बेचा जायेगा। विवरण निम्नवत् है:

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) गारंटर(ओं) का नाम एवं पता	मांग पत्र दिनांक / कब्जा दिनांक	अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई है	बैंक को देय बकाया धनराशि	आरक्षित मूल्य / बयाना राशि
	शाखा:- मिड कॉर्पोरेट ट्रांजक्शन, (20744) जिला–कानपुर; सम्पर्क नं.:- +91-7623860785, +91-8789356663; Email Id:- trijun@ucobank.co.in, zokanpur.rec@uco.bank.in				
1.	उधारकर्ता: आवेदक श्री अरुण अरोड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री धनी राम अरोड़ा, के कानूनी उत्तराधिकारी (अब मृतक) सभी कानूनी उत्तराधिकारियों का पता (आखिरी ज्ञात पता): 7/135–ए, फ्लैट संख्या 504, विलियम अपार्टमेंट, स्वरूप नगर, कानपुर उ.प्र.–208002 सह–आवेदक: श्रीमती सीमा अरोड़ा पत्नी स्वर्गीय श्री अरुण अरोड़ा, पता: 7/135–ए, फ्लैट नंबर 504, विलियम अपार्टमेंट, स्वरूप नगर, कानपुर उ.प्र.–208002	30.09.2022 13.12.2022 (प्रतीकात्मक कब्जा)	सम्पत्ति के सभी भाग जिसमें 75.24 वर्ग मीटर की (आवासीय) भवन शामिल हैं। जो फ्लैट सं. 03 पर पांचवी मंजिल विलियम अपार्टमेंट पर स्थित, परिसर सं. 7/135–ए, स्वरूप नगर, कानपुर बही संख्या 1, जिल्द सं. 7859, पेज सं. 137 से 174, क्रम सं. 3526 पर दिनांक 02.06.2016 को सब–रजिस्ट्रार ऑफिस जोन–2 तहसील, परगना सदर एवं जिला, कानपुर पर पंजीकृत की गई है। जोकि परिसर सं. 7/135–ए, स्वरूप नगर, कानपुर पर स्थित है। जो श्री अरूण अरोड़ा पुत्र श्री धनी राम अरोड़ा के नाम पर है। एवं जो 7/135–ए, फ्लैट सं. 504, विलियम अपार्टमेंट, स्वरूप नगर, कानपुर–208002 के निवासी है। फ्लैट की चौहद्दी का विवरण (डीड के अनुसार):– पूर्व: मकान सं. 7/135, पश्चिम: फ्लैट सं. 04 एवं सामान्य मार्ग, उत्तर: मकान सं. 7/135–ए, का सीमांत भाग तत्पश्चात मकान सं. 7/136, दक्षिण: फ्लैट सं. 2 ज्ञात भार, यदि काई है . शून्य	दिनांक 26.10.2026 तक रु. 53,89,333.31/– (रूपये तिरेपन लाख नवासी हजार तीन सौ तैंतीस एवं पैसा इकतीस मात्र) साथ ही लागू न किया गया ब्याज एवं अन्य शुल्क	रू. 37,50,000/- रू. 3,75,000/-
	दिनांक:. 29.10.2026 — स्थान: कानपुर — प्राधिकृत अधिकारी (यूको बैंक)				
	शाखा:- पनकी कल्याणपुर, (2575) जिला–कानपुर; सम्पर्क नं.:- +91-9696392207, +91-8789356663; Email Id:- panpur@ucobank.co.in, zokanpur.rec@ucobank.co.in				
2.	ऋणी: मेसर्स एस एस इंडस्ट्रीज पता 1: 110/52 रामकुटी जवाहर नगर, 71, एनएलके लिटिल स्टेप्स के पास, कानपुर, उ.प्र. – 208012 पता 2: मकान संख्या 11/10 (पुराना), 1532 (नया) भूमि आराजी संख्या 783 मिन ग्राम–चौबाना खेड़ा मजरा अकरमपुर उन्नाव के अन्दर नगर पालिका, परगना एवं जिला उन्नाव उन्नाव – 209862 साक्षीदार: 1. श्री अभय सिंह पुत्र योगेन्द्र पाल सिंह 2. श्रीमती शालू कुमारी पत्नी अभय सिंह दोनों का पता: 107/173ए जवाहर नगर, रामकृष्ण नगर कानपुर, उ.प्र. 208012 गारंटर: 1. श्री अभय सिंह पुत्र योगेन्द्र पाल सिंह 2. श्रीमती शालू कुमारी पत्नी अभय सिंह 3. श्री योगेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्वर्गीय गोकरन नाथ सिंह, सभी का पता: 107/173ए जवाहर नगर, रामकृष्ण नगर कानपुर, उ.प्र. – 208012	07.10.2025 14.01.2026 (प्रतीकात्मक कब्जा)	सम्पत्ति के सभी भाग जिसमें 503.25 वर्ग मीटर की भूमि एवं भवन शामिल हैं। बही संख्या 1, जिल्द सं. 11230, पेज सं. 233 से 260, क्रम सं. 9583 पर दिनांक 03.06.2016 को सब-रजिस्ट्रार उन्नाव सदर उन्नाव पर पंजीकृत की गई है। जो कि मकान संख्या 11/10 (पुराना), 1532 (नया) भूमि आराजी संख्या 783 मिन ग्राम–चौबाना खेड़ा मजरा अकरमपुर उन्नाव के अन्दर नगर पालिका, परगना एवं जिला उन्नाव के अंतर्गत स्थित है। और जो श्री योगेंद्र पाल सिंह पुत्र स्वर्गीय गोकरन नाथ सिंह, के नाम पर है। और जो 107/173ए जवाहर नगर, रामकृष्ण नगर, कानपुर नगर, उत्तरप्रदेश–208012 के निवासी है। सीमाओं का विवरण (विलेख के अनुसार) पूर्व: आराजी का भाग, पश्चिम: 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: डॉ. उनैज एवं राम कुमार का प्लॉट, ज्ञात भार, यदि काई है . शून्य	दिनांक 28.10.2026 तक रु. 1,10,48,045.26/– (रूपये एक करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार पैंतालीस एवं पैसा छब्बीस मात्र) साथ ही लागू न किया गया ब्याज एवं अन्य शुल्क	रू. 57,58,000/- रू. 5,75,800/-
	दिनांक:. 29.10.2026 — स्थान: कानपुर — प्राधिकृत अधिकारी (यूको बैंक)				
	शाखा:- इटावा, जिला, इटावा; सम्पर्क नं.:- +91-8177000479, +91-8789356663; Email Id:- etawah@ucobank.co.in, zokanpur.rec@ucobank.co.in				
3.	ऋणी: मैसर्स, सदमा फ्रूट कंपनी (प्रो. श्री शमसुद्दीन पुत्र श्री बददल मरहूम) पता: नवीन मंडी इटावा – 206001 प्रो. श्री शमसुद्दीन पुत्र श्री बददल मरहूम, पता:–1. 33 सराय तबेला इटावा – 206001 प्रो. का पता: 37 सराय तबेला, इटावा –206001 जमानतकर्ता : श्रीमती आमना बेगम पत्नी श्री शमसुद्दीन पता:–1. 37 सराय तबेला इटावा – 206001	27.06.2023 20.09.2023 (प्रतीकात्मक कब्जा)	सम्पति के सभी भाग जिसमें 1447 वर्ग फिट काभूमि एवं भवन (एक आवासीय भवन) (रेंचदार खंडहार) शामिल हैं। बही संख्या 1, जिल्द सं. 327, पेज सं. 145 से 156, क्रम सं. 4057 पर दिनांक 30.07.1992 को सब–रजिस्ट्रार इटावा पर पंजीकृत की गई है। जो कि मोहल्ला–कूंचा शील चन्द्र (सराय तबेला), सिटी एवं जिला इटावा पर स्थित है। और जो श्री शमसुद्दीन पुत्र श्री बददल, एवं श्रीमती आमना बेगम पत्नी श्री शमसुद्दीन के नाम पर है। एवं जो कि मोहल्ला–कूंचा शील चन्द्र (सराय तबेला), सिटी एवं जिला इटावा के निवासी है। सीमाओं का विवरण (विलेख के अनुसार): पूर्व: रामनाथ का मकान एवं जुगल किशोर का मकान, पश्चिम: गली मुश्तरका मुतल्लिका खंडहर मुबइया मजकूर एवं मुतबलिका हाउस बयान एवं हाउस बयान,, उत्तर: रहमान एवं मरहूम वाला का मकान, दक्षिण: मुहम्मद इस्लाम का मकान एवं मजार शरीफ एवं बायन का मकान ज्ञात भार, यदि काई है . शून्य	दिनांक 28.10.2026 तक रु. 41,39,028.57/– (रूपये इकतालीस लाख उनतालीस हजार अट्ठाइस एवं पैसा सतावन मात्र) साथ ही लागू न किया गया ब्याज एवं अन्य शुल्क	रू. 24,05,000/- रू. 2,40,500/-
	दिनांक:. 29.10.2026 — स्थान: इटावा — प्राधिकृत अधिकारी (यूको बैंक)				
	शाखा:- बीकेडी झांसी, (1950) जिला–झांसी; सम्पर्क नं.:- +91-8630229224, +91-987893566633; Email Id:- bundel@ucobank.co.in, zokanpur.rec@ucobank.co.in				
4.	ऋणी: श्री रजनीश कुशवाहा पुत्र श्री हरी राम कुशवाहा सह–ऋणी: श्रीमती आराधना दोनो का पता 1: 24 कम्मोद नगर रायल सिटी झाँसी–284003 दोनो का पता 2: 40/1, मऊ देहात, मऊरानीपुर झांसी–284204 गारण्टर: श्री हरी राम कुशवाहा पुत्र भगवान दास पता: 24 कम्मोद नगर रायल सिटी झाँसी–284003	13.01.2017 18.03.2017 (प्रतीकात्मक कब्जा)	सम्पत्ति के सभी भाग जिसमें 74.35 वर्ग मीटर और 800 वर्ग फीट की भूमि एवं भवन शामिल हैं। बही संख्या 1, जिल्द सं. 5282, पेज सं. 199–216, क्रम सं. 4045 पर दिनांक 18.05.2015 को सब–रजिस्ट्रार झाँसी पर पंजीकृत की गई है। आराजी नं. 445, मौजा–बिजौली आबादी राजगढ़, तहसील नाद जिला–झांसी पर स्थित है। और जो रजनीश कुशवाहा पुत्र श्री हरी रामकुशवाहा के नाम पर है। एवं जो 24 कम्मोद नगर रायल सिटी झाँसी– 284002 के निवासी है। चौहद्दी का विवरण (डीड के अनुसार):– पूर्व: विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम: श्री गौरव कुशवाहा का प्लॉट, उत्तर: खुमान का प्लॉट, दक्षिण: 5.49 मीटर सड़क ज्ञात भार, यदि काई है . शून्य	दिनांक 28.10.2026 तक रु. 30,42,928.51/– (रूपये तीस लाख बयालीस हजार नौ सौ अट्ठाईस एवं पैसा इक्यावन मात्र) साथ ही लागू न किया गया ब्याज एवं अन्य शुल्क	रू. 7,78,000/- रू. 77,800/-
	दिनांक:. 29.10.2026 — स्थान: झाँसी — प्राधिकृत अधिकारी (यूको बैंक)				
	शाखा:- बड़ा बाजार (0310), जिला–झांसी; सम्पर्क नं.:- +91-9651042174 +91-8789536663; Email Id:- jhansi@ucobank.co.in, zokanpur.rec@ucobank.co.in				
5.	उधारकर्ता: मेसर्स कंचन गारमेंट्स (प्रो. श्री नितिन कंचन) पता: शॉप 208, सराफा बाजार, झांसी उ.प्र.–284002 प्रो. श्री नितिन कंचन पुत्र श्री सुरेश कंचन पता: 92 (पुराना), 110/3 (नया), हजरयाना, झांसी–284001 उधारकर्ता: श्री नितिन कंचन पुत्र श्री सुरेश कंचन सह–उधारकर्ता: श्रीमती सुषमा कंचन पत्नी श्री सुरेश कंचन पता: 92 (पुराना), 110/3 (नया), हजरयाना, झांसी–284001	02.07.2019 08.11.2019 (प्रतीकात्मक कब्जा)	सम्पत्ति के सभी भाग जिसमें 564 वर्ग फीट (52.42 वर्ग मीटर) की भूमि एवं भवन शामिल हैं। बही सं. 1, जिल्द सं. 5680, पेज सं. 253 से 276 पर क्रम सं. 2136 से दिनांक 26.03.2014 को सब–रजिस्ट्रार झाँसी पर पंजीकृत की गई है। मकान सं. 92 (पुराना), 110/3 (नया), मोहल्ला हजयाना, सिटी एंव जिला झांसी पर स्थित है। और जो श्री नितिन कंचन पुत्र श्री सुरेश कंचन के नाम पर है एवं जो 92 (पुराना), 110/3 (नया), हजयाना झांसी के निवासी है। चौहद्दी का विवरण (डीड के अनुसार): पूर्व: राम दास का मकान, पश्चिम: रास्ता 6.10 मीटर, उत्तर: नीरज बत्रा का मकान, दक्षिण: प्रदीप कंचन का मकान ज्ञात भार, यदि काई है - शून्य	दिनांक 28.10.2026 तक रु. 20,74,091.68/– (रूपये बीस लाख चौहत्तर हजार इक्यानवे एवं पैसा अड़सठ मात्र) साथ ही लागू न किया गया ब्याज एवं अन्य शुल्क	रू. 15,00,000/- रू. 1,50,000/-
	दिनांक:. 29.10.2026 — स्थान: रावतपारा, झाँसी — प्राधिकृत अधिकारी (यूको बैंक)				

निरीक्षण दिनांक 09.11.2026 प्रातः 11:00 बजे से 16.11.2026 अपराह्न 12:00 बजे तक | बोली के लिए बयाना राशि जमा करने की अन्तिम तिथि:- 16.11.2026 अपराह्न 12.00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार) ई-नीलामी की तिथि एवं समय:- 17.11.2026 सायं: 01.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक (भारतीय मानक समयानुसार) जहाँ प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ बोली बढ़ाने की राशि रू 10,000/- होगी

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट https://baanknet.com पर जायें।

नोट:– इस नोटिस के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जा रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि नोटिस के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में, नोटिस का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

कानपुर विकास प्राधिकरण

आवश्यक सूचना:– जन साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद इकबाल पुत्र स्व0 हाजी गुलाम मोहम्मद द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्रों, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्रों तथा पहचान पत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड सं0 90/13 ब्लाक– एल–1 योजना–बगाही कानपुर, क्षेत्रफल 311 वर्गगज पर की डुप्लीकेट पत्रावली खोले जाने एंव विरासतन नामान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में सूचित करना है कि प्रश्नगत भूखण्ड सं0 90/13 ब्लाक–एल–1 योजना–बगाही कानपुर, क्षेत्रफल 311 वर्गगज, भू–प्रयोग आवासीय की मूल लीजडीड कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर की पूर्ववर्ती संस्था कानपुर नगर महापालिका कानपुर द्वारा दिनांक 12.02.1970 को श्री रनवीर सिंह पुत्र श्री रूस्तम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित वसीयत के आधार पर श्री राम पाल सिंह पुत्र स्व0 ठा0 रूस्तम सिंह के पक्ष में निष्पादित की गयी थी। उक्त भूखण्ड के मूल पटटाधारक श्री राम पाल सिंह पुत्र स्व0 ठा0 रूस्तम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित वसीयत के क्रम में उक्त भूखण्ड पर नामान्तरण श्री राम पाल सिंह पुत्र ठा0 रूस्तम सिंह के पक्ष में किये जाने के उपरान्त भूखण्ड पर नामान्तरित पट्टाधारक श्री राम पाल सिंह पुत्र स्व0 ठा0 रूस्तम सिंह द्वारा निष्पादित बैनामें के आधार पर नामान्तरण कार्यालय पत्र सं0 1029/एल0ए0 (बी0एल0)/4407भू दिनांक 13.12.1984 द्वारा श्री गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मद नसीर उर्फ मोहम्मद हसन के पक्ष में निष्पादित की गयी थी। उक्त भूखण्ड पर नामान्तरित पट्टाधारक हाजी गुलाम मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 08.07.2008 को हो चुकी है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत किये मृत्यु प्रमाण पत्रों से होती है। कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर), कानपुर नगर द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सं0 914/अह0फौ0/2011 दिनांक 26.03.2011 के अनुसार मृतक स्व0 हाजी गुलाम मोहम्मद के परिवार में निम्न पारिवारिक सदस्य हैः– 1. श्रीमती शाहजहाँ, मृतक की पत्नी, उम्र 60 वर्ष। 2. श्री हाजी मो0 इकबाल, मृतक का पुत्र, उम्र 42 वर्ष। 3. श्री अब्बार हुसैन, मृतक का पुत्र, उम्र 40 वर्ष। 4. श्री मोहम्मद हुसैन, मृतक का पुत्र, उम्र 38 वर्ष। 5. श्रीमती कौसर जहाँ, मृतक की पुत्री (विवा0), उम्र 36 वर्ष। 6. श्री मो0 इकलाख मोहम्मद, मृतक का पुत्र, उम्र 31 वर्ष। 7. श्रीमती अनवर जहाँ, मृतक की पुत्री (विवा0), उम्र 25 वर्ष। उपरोक्त के अलावा मृतक के परिवार में अन्य कोई पारिवारिक सदस्य नही है। उपरोक्तानुसार पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र पर अंकित क्रम सं0 01, 03, 04, 05, 06 व 07 के सदस्यों द्वारा क्रम सं0 02 पर अंकित सदस्य (श्री हाजी मो0 इकबाल) के पक्ष में अपना–अपना हक छोडने हेतु फोटोयुक्त सहमति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार आवेदक श्री हाजी मो0 इकबाल पुत्र स्व0 हाजी गुलाम मोहम्मद द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर डुप्लीकेट पत्रावली खोले जाने के साथ ही विरासतन नामान्तरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त भूखण्ड पर डुप्लीकेट पत्रावली खोले जाने एंव नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या उक्त सम्पत्ति में अन्य कोई अपना हक रखता हो तो इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति समस्त साक्ष्यों सहित प्राधिकरण स्थित एकल विण्डो काउण्टर में उपलब्ध करा दें, समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा तथा उक्त भूखण्ड पर नामान्तरित पट्टाधारक हाजी गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मद नसीर उर्फ मोहम्मद हसन का नाम पृथक करते हुये विरासतन के आधार पर श्री हाजी मो0 इकबाल पुत्र स्व0 हाजी गुलाम मोहम्मद के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, इसके उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

जोनल प्रभारी अधिकारी, (विक्रय जोन–4)

कानपुर नगर निगम

निविदा सूचना

निविदा संख्या–92/मु0अभि0/2026–27

नगर निगम कानपुर के समस्त वर्ष 2025–26 में पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा के अन्तर्गत तथा उ0प्र0 सरकार के अधीन किसी सरकारी संस्था में निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2025–26 हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों हेतु निम्नानुसार निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं :–

1. ई–निविदा पद्धति से आमन्त्रित कार्यों की निविदायें संख्या–73 दिनांक 07.11.2026

उपरोक्तानुसार आमन्त्रित निविदाओं में निम्न अतिरिक्त शर्तें अनुमन्य होंगीः–

1. लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0–86/2026/649/2026/23–7099/106/2025 दिनांक– 23 मई, 2026 में दी गयी व्यवस्था लागू होगी।
2. एक समान दरें प्राप्त होने पर सर्वनिम्न निविदादाता का चयन विभाग द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर पर ई–लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
3. सडक मरम्मत के कार्यों हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/निगमों/यू0एल0बी0 यथा लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इत्यादि में **"सडक निर्माण कार्य"** हेतु पंजीकृत फर्म प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे। इस हेतु प्रतिभागी फर्म को **सडक निर्माण कार्य सम्बन्धी वैध** पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न (अपलोड) करना होगा।

आमंत्रित कार्यों का पृथक–पृथक विवरण एवं निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें कानपुर नगर निगम की बेवसाइट kmc.up.nic.in एवं ई–टेण्डर की वेबसाइट www://etender.up.nic.in पर पढ़ीं व देखी जा सकती हैं।

मुख्य अभियन्ता – नगर निगम कानपुर

छावनी परिषद कार्यालय, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश-209601
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

पत्रांक संख्या - एफ०सी०बी०/टैक्स/919 — 31 अक्टूबर, 2026

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, छावनी क्षेत्र फतेहगढ़ के अन्तर्गत वार्ड नं0-03 कासिमबाग में स्थित मकान सर्वे सं०-70 कासिमबाग जो कि सम्पत्ति कर रजिस्टर में श्री नत्थू सिंह के नाम दर्ज है। उक्त रजिस्टर में नाम परिवर्तन करने हेतु श्री नत्थू सिंह के पुत्र श्री आलोक कुमार ने अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति को इसमें आपत्ति है तो वह 30 (तीस) दिनों के अन्दर इस कार्यालय में अपनी आपत्ति सभी साक्ष्यों सहित दर्ज कराये। अन्यथा आवेदक का नाम कर रजिस्टर में अन्तरित कर दिया जायेगा।

(अनिंद्या दे)
मुख्य अधिशाषी अधिकारी
छावनी परिषद फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. लखनऊ
(यूपीआरएनएसएस) राजकीय निर्माण एजेन्सी
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता यू0पी0आर0एन0एस0एस0 लि0, इटावा
405, विकास कॉलौनी, पक्का बाग, इटावा

पत्रांक : 264/अधि0अभि0/यूपीआरएनएसएस/इटावा/2026-27 दिनांक-31 अक्टूबर, 2026

शुद्धि पत्र

निर्माण प्रखंड-इटावा के अधीन जिला संयुक्त चिकित्सालय, जनपद-इटावा में आई०पी०एच०एल० के जीर्णोद्धार के कार्य हेतु निविदा क्रमांक- 345/SE-AGRA/E-TENDER/2026-27 Date- 27.10.2026 के द्वारा यू.पी.एन.आई.सी. की अधिकृत वेबसाइट **etender.up.nic.in** के माध्यम से दिनांक- 30.10.2026 को निविदा आमंत्रित की जानी थी परन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदा दिनांक- 30.10.2026 को आमंत्रित नहीं किया जा सका। अब उक्त निविदा दिनांक- 03.11.2026 को **etender.up.nic.in** के माध्यम से आमंत्रित की जायेगी।

अधिशाषी अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0
इटावा

उत्तर मध्य रेलवे

टेण्डरसंख्या-230-वि0/क0वि0/प्रयागराज/ई टेण्डर/2026/671 — दिनांक : 29.10.2026

ई-निविदा सूचना

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/क0वि0/30म0रे0/प्रयागराज, द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्न कार्य हेतु ई निविदा आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

निविदा सं0 : 230-क0वि0-कार्य ठेका-1060-2026	
कार्य का विवरण : एनएच-135ए पर 4-लेन मिर्ज़ापुर बाईपास निर्माण के कारण उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के अंतर्गत डीडीयू-प्रयागराज रेल खंड के विन्ध्याचल यार्ड में 25 के.वी. ओ.एच.ई. में संशोधन का कार्य।	
अनुमानित लागत : रू0 48,28,052.54	**बिड सुरक्षा राशि** : रू0 96,600.00
कार्य अवधि : 12 महीना	**बोली प्रणाली** : एक पैकेट
निविदा बन्द होने की तिथि तथा समय : 20.11.2026, 14:00 बजे	
निविदा खुलने की तिथि तथा समय : 20.11.2026, 15:00 बजे	

नोटः- **1.** उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) बेवसाइट **www.ireps.gov.in** पर निविदा खोलने की तिथि से 21 दिन पहले से उपलब्ध होगा। **2.** उपरोक्त निविदा में ई.बिड के अलावा किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेन्डरों को चाहिए कि वे अपने आपको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। **3.** किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिए IREPS की वेबसाइट की हेल्पलाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। **2482/26 (AS)**

North central railways — www.ncr.indianrailways.gov.in — @CPRONCR